राज्य सभा
अतारांकित प्रश्ना संख्या 2674
12 अगस्त, 2015 को उत्त र के लिए

इस्पात विनिर्माताओं का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ पंजीकरण

2674. **श्री देवेंदर गौड टी. :**
श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सस्ते और घटिया गुणवत्ता वाले इस्पात के ढेर के संबंध में कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक उपयुक्त प्राधिकरण गठित करने संबंधी प्रस्ताव को लेकर क्या प्रगति हुई है;
(ख) देश के इस्पात विनिर्माताओं का ब्यौरा क्या है; और क्या यह सच है कि सभी इस्पात विनिर्माताओं का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ पंजीकरण नहीं हुआ है; और
(ग) यदि हां, तो मंत्रालय ऐसी कौन-सी प्रक्रिया लाने की योजना बना रही है, ताकि सभी विनिर्माताओं का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ पंजीकरण किए जाने को अनिवार्य बनाया जा सके?

उत्त र

इस्पातत और खान राज्यम मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) : सरकार भारतीय मानक ब्यूमरो (बीआईएस) की अनिवार्य सर्टिफिकेशन मार्क स्कीनम के अंतर्गत उन विविध इस्पातत उत्पामदों को अधिसूचित करने का प्रस्ता व रखती है जिनका मानव स्वारस्य्र पर प्रत्यिक्ष प्रभाव पड़ता है तथा जो आवास, निर्माण और अवसंरचना के लिए महत्ववपूर्ण है। इस स्कीवम के तहत अन्य के साथ-साथ यह आवश्य क है कि सभी अधिसूचित उत्पा द संबंधित भारतीय मानकों के अनुसार हो। इससे अन्य- के साथ-साथ घटिया गुणवत्ता वाले इस्पाति उत्पा दों का उत्पारदन, बिक्री, वितरण और आयात विनियमित होगा। इस्पात गुणवत्ताण नियंत्रण के प्रस्तातवित आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि आदेश के प्रभावी क्रियान्व यन के लिए उपयुक्तण प्राधिकरण होगा।

(ख) : भारत में इस्पाेत का उत्पादन एकीकृत इस्पाएत संयंत्रों तथा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसों एवं इलेक्ट्रिक इंडक्शान फर्नेसों का इस्तेपमाल करने वाले कई छोटे इस्पाएत संयंत्रों द्वारा किया जाता है। संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी), कोलकाता से उपलब्धल सूचनाओं के अनुसार 11 एकीकृत इस्पाैत संयंत्र, 42 इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) आधारित छोटे इस्पा त संयंत्र, 1247 इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस (ईआईएफ) आधारित छोटे इस्पाेत संयंत्र और 1630 रि-रोलिंग मिल विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, आज की तिथि अनुसार बीआईएस से प्राप्तं सूचना के मुताबिक बीआईएस मानक चिह्न का उपायोग करने के लिए बीआईएस ने विभिन्न इस्पा त उत्पातदों के 2357 विनिर्माताओं को लाईसेंस प्रदान किए हैं। जिन विनिर्माताओं द्वारा लाईसेंस के लिए बीआईएस को आवेदन नहीं किया है, उनका ब्यौारा बीआईएस के पास उपलब्धओ नहीं है।

(ग) : सरकार ने अभी तक दो इस्पादत गुणवत्ता, नियंत्रण आदेशों के तहत 15 इस्पाजत उत्पा दों को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्ते, सरकार दो अतिरिक्त3 गुणवत्ताण नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करने का प्रस्ताैव रखती है जिनमें अतिरिक्तर रूप से क्रमश: 16 अतिरिक्ति गैर-एलॉय इस्पादत उत्पाीद और 3 स्टैंानलेस इस्पाोत उत्पातद शामिल होंगे।

******